Annexure – I

FORM –I
(For linear projects)
Government of **Madhya Pradesh**
Office of the District Collector **Umaria**

No. 2739 Date 02-05-16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of india's letter No. 11-9/98-Fc (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for Non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **30.969** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Govt. of India Ministry of Road Transport and Highways for the Rehabilitation and upgradation** for **existing km 39/00 to 132/200 of Katni-Umaria-Shahdol section of NH-78 in the state of Madhya Pradesh to two-lanes with paved shoulders including construction of Chandia, Umaria, Pali and Shahdol bypass pm EPC mode under NHDP-IV** in **Umaria** district falls within jurisdiction of **Chandia, Bandhavgarh, Nowrozabad and Pali** tahsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **30.969** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive tribal Groups and pre-agricultural communities.

Enclose: As above.

(Abhishek Singh)
Collector
District Umaria (m.p.)

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक/2759/भू-अर्जन/2016 उमरिया, दिनांक 3 /05/2016

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,
एनएच-78, पैकेज-3
एम.पी.आर.डी.सी., शहडोल
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय - ई.पी.सी. पद्धति पर एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-78 को दो लाईन में पेव्ड सोल्डर के उन्नयन हेतु वन भूमि में विस्थापित होने वाले आदिम जाति-जनजाति के संबंध में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण जारी करने के संबंध में ।

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक 42/वन भूमि व्यपवर्तन/22/2015 शहडोल, दिनांक 23.10.2015 मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.) म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का पत्र क्र./509/पर्यावरण/MPRDC/2016-17 भोपाल दिनांक 11.04.2016

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम में लेख है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत ई.पी.सी. पद्धति पर एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत कटनी-उमरिया-शहडोल एवं अनूपपुर म.प्र./छ.ग. सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-78 को दो लाईन में पेव्ड सोल्डर के उन्नयन के कार्य में जिला उमरिया अंतर्गत उन्नयन में पड़ने वाले वन क्षेत्र के कि.मी. 39/00 से 132/200 के मध्य तहसील चंदिया, उमरिया, नौरोजाबाद एवं पाली में पड़ने वाले ग्राम एवं कुल क्षेत्रफल 30.969 हे0 वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के अनुसार जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

डिप्टी कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी
वास्ते - कलेक्टर
जिला उमरिया (म.प्र.)

भू-अर्जन अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/ /भू-अर्जन/2016 उमरिया, दिनांक /05/2016

प्रतिलिपि-

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.) म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।

Sd/-
डिप्टी कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी
वास्ते - कलेक्टर
जिला उमरिया (म.प्र.)